रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26022024-252370
CG-DL-E-26022024-252370

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 814] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 26, 2024/फाल्गुन 7, 1945
No. 814] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 26, 2024/PHALGUNA 7, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2024

का.आ. 854(अ).—केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उपधारा (3) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2024 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 2024 से प्रवृत्त होगा।

2. चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के पैरा 21 में, उप-पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत चाय विनिर्माता, चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2024 के प्रारंभ की तारीख से ही,—

(i) खंड (ii) में उल्लिखित चाय के सिवाय, किसी कलैंडर वर्ष में विनिर्मित कुल चाय के पचास प्रतिशत से अन्यून का ; और

(ii) अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिमी बंगाल राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित अपनी विनिर्माण करने वाली इकाइयों में किसी कलैंडर वर्ष में विनिर्मित डस्ट ग्रेड चाय के सौ प्रतिशत का,

चाय नीलामी के आयोजक, जो इस आदेश के अधीन ऐसा करने के लिए अनुज्ञप्तिप्राप्त है, के नियंत्रण के अधीन आयोजित चाय की सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से विक्रय करेगा :

परंतु यह पैरा किसी लघु चाय कारखाने को लागू नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—इस पैरा के प्रयोजन के लिए, "चाय के डस्ट ग्रेड"के अंतर्गत भारतीय मानक आईएस 4541-1986 में डस्ट ग्रेड के रूप में सूचीबद्ध सभी ग्रेड सम्मिलित होंगे ।'।

3. उक्त आदेश के प्ररूप-ङ में, भाग 1 में, क्रम संख्यांक 10 में, खंड (vii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित खंड और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(viii) मास के दौरान विनिर्मित चाय के डस्ट ग्रेडों की मात्रा (कि.ग्रा. में)

डस्ट ग्रेड की कुल विनिर्मित चाय	पैकेट चाय, इन्सटेंट चाय, टी बैग्स, एरोमैटिक चाय, ग्रीन चाय, क्विक ब्रूइंग ब्लैक चाय और आर्गेनिक चाय का विनिर्माण करने के लिए उपयोग किए गए चाय के कुल डस्ट ग्रेडों का विनिर्माता द्वारा सीधे विपणन किया गया या सीधे निर्यात किया गया [चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 का पैरा 21(2) देखें]

[फा.सं.- के-57023/17/2023-प्लांट क]

अमरदीप सिंह भाटिया, अपर सचिव

टिप्पण:— मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् ,निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया, अर्थात् :—

1. का.आ. 247(अ), तारीख 28 फरवरी, 2003 ;
2. का.आ. 430(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2003 ;
3. का.आ. 270(अ), तारीख 27 फरवरी, 2004 ;
4. का.आ. 1170(अ), तारीख 20 अक्तूबर, 2004 ;
5. का.आ. 1017 (अ), तारीख 15 जुलाई, 2005 ;
6. का.आ. 1012 (अ), तारीख 15 अप्रैल, 2015 ;
7. का.आ. 2688 (अ), तारीख 1 अक्तूबर, 2015 ;
8. का.आ. 3319 (अ), तारीख 25 अक्तूबर, 2016 ;
9. का.आ. 21(अ), तारीख 3 जनवरी, 2017 ;
10. का.आ. 2288 (अ), तारीख 4 जून, 2018 ;
11. का.आ. 2560(अ), तारीख 31 जुलाई, 2020 ;
12. का.आ. 3086(अ), तारीख 30 जुलाई, 2021 ; और
13. का.आ. 5294(अ), तारीख 17 दिसंबर, 2021 ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 23rd February, 2024

S.O. 854(E).—In exercise of the power conferred by sub-sections (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Tea (Marketing) Control Order, 2003, namely:—

1. (1) This order may be called the Tea (Marketing) Control (Amendment) Order, 2024.

(2) It shall come into force with effect from the 1st April, 2024.

2. In the Tea (Marketing) Control Order, 2003, (hereinafter referred to as the said Order), in paragraph 21, for sub-paragraph (1), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

'(1) Every registered tea manufacturer shall, on and from the date of commencement of the Tea (Marketing) Control (Amendment) Order, 2024, sell-

(i) not less than fifty per cent. of total tea manufactured in a calendar year, excluding tea mentioned in clause (ii); and

(ii) one hundred per cent. of dust grades tea manufactured in a calendar year in its manufacturing units located in the geographical area of States of Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Uttarakhand and West Bengal,

through public tea auctions, held under the control of organiser of tea auction licensed to do so under this order:

Provided that this paragraph shall not apply to a Mini Tea Factory.

Explanation.—For the purpose of this paragraph, the "dust grades of tea" shall include all grades listed as dust grades in the Indian Standard IS 4541-1986'.

3. In the FORM-E of said order, in Part-I, in serial number 10, after clause (vii) and the entries relating thereto, the following clause and entries shall be inserted, namely:-

"(viii) Quantum of dust grades of tea manufactured during the month (in kgs.)

Total Dust grades of tea manufactured	**Total Dust grades of tea used for manufacturing of packet tea, instant tea, tea bags, aromatic tea, green tea, quick brewing black tea and organic tea marketed directly by the manufacturer or exported directly (refer paragraph 21(2) of the Tea (Marketing) Control Order, 2003)**

[F.No. K-57023/17/2023-PLANT A]
AMARDEEP SINGH BHATIA, Addl. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) vide S.O. 1 (E), dated the 1st January, 2003 and subsequently amended vide following notifications, namely:-

1. S.O.247 (E), dated the 28th February, 2003;
2. S.O.430 (E), dated the 10th April, 2003;
3. S.O.270 (E), dated the 27th February, 2004;
4. S.O.1170 (E), dated the 20th October, 2004;
5. S.O.1017 (E), dated the 15th July, 2005;
6. S.O.1012 (E), dated the 15th April, 2015;
7. S.O.2688 (E), dated the 1st October, 2015;
8. S.O.3319 (E), dated the 25th October, 2016;
9. S.O.21 (E), dated the 3rd January, 2017;
10. S.O. 2288(E), dated the 4th June, 2018;
11. S.O. 2560 (E), dated the 31st July, 2020;
12. S.O. 3086(E), dated the 30th July, 2021; and
13. S.O. 5294(E), dated the 17th December, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA